

मध्यप्रदेश शारन
राजूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
चल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक-संख्या-73-44/2006/20-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/6/07

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीते बिहार, नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था - भगवान् विष्णु प्रैरिय जनकृष्ण
- एवं उनके शिष्यों को ती. बी. एस. ई /आई. सी. स्ट. ई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने आवृत्ति।


राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था - भगवान् विष्णु प्रैरिय -
- उनकृष्ण लोको-एन्ड-जनकृष्ण - को ती. बी. एस. ई /आई. सी. स्ट. ई ,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया
जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश
के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की
कार्यकारिणी में मृ. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी
को नामांकित किया जाये।
2. विभिन्न अक्षरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कूलिक एवं
खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य उत्तर-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का
मैदान छात्राचास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगे।
इस हेतु संस्था से व्यवहार करायेगे।
3. इस संस्थाज्ञान के संबोधन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर
विधान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने
का अधिकार होगा।


निरन्तर.. 2 पर

PRINCIPAL
MAHARISHI VIDYA MANDIR
JANAKPUR ROAD PANNA (M.P.)

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मृ. प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संयालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं चिकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का व्यवहार संस्था से प्राप्त किया जायेगा।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में मृ. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहायोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।
7. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण प्रुल्क लेने में पालकों का झोलप नहीं किया जायेगा।
8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री छूली घाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्रय करने की व्यवस्था नहीं रहेगी।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से उपकरण होंगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा ऐध्यपिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विदालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस बेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी रैते जबलनशील राधन जैसे घरेलू स्ल. पी. जी. आदि से संयोगित नहीं किया जायेगा।


निरन्तर. ३ : र


PRINCIPAL
MAHARASHTRA VIDYA MANDIR,
MANAKPUR ROAD, PANCHALA (MLP.)

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। नोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रदेश देने से झंकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत ददि सिद्ध पाई गई तो उसथा का अनादत्ता प्रभाष-पत्र समाप्त करने की कार्यकाही ही ज़रूर करेगी।
12. संस्था के दूरतकाल्य में जाति संवंध के आधार पर भेद-भाव तथा नाम्सदाचिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम है
तथा आदेशानुसार

१०३८० घगरे

अदर तथिय

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०५०-एफ-७३-४४/२००६/२०३

भोपाल, दिनांक १५/६/०२

प्रतिलिपि:-

1. आद्यक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म. प्र. भोपाल।
 2. छिला दिल्ली अधिकारी, जिला - अनन्ना - २०-छ० --- -
 3. द्रायार्द, अशारकीय शिक्षण संघर्षा - महर्षि रविदुर्गा - संचिर - अनकृष्ण श्री अनन्ना - २०-छ० ८. - - - - -
 4. गार्डर छूक।
- की ओर दूषनार्थ स्व आवश्यक कार्यकाही हेतु अग्रेशित।

अदर तथिय

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

PRINCIPAL
MAHARISHI VIDYA MANDIR
MANAKPUR ROAD PANNA (M.P.)